प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला भ्र. नि. ब्यूरो, प्रतापगढ थाना सी.पी.एस. ए.सी.बी. जयपुर वर्ष 2023
प्र.इ.रि.स 133/2023 दिनांक 29/5/2023

2. (1) अधिनियम पी.सी.एक्ट – धाराएं 7, पी.सी. एक्ट 1988 (यथा संशोधन) 2018
(2) अधिनियम भा.द.स. – धाराएं – 167, 177, 420, 34 आई.पी.सी.
(3) अन्य अधिनियम एवं धाराएं –

3. (1) रोजनामचा आम रपट संख्या 560 समय 12:15 P.M.
(2) अपराध के घटने का दिन **शुक्रवार** दिनांक 26.05.2023 समय **06.35** पी.एम.
(3) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक **25.05.2023** समय **05.50** पी.एम.

4. सूचना की किस्म लिखित/मौखिक – लिखित

5. घटना स्थल :
(1) थाना से दिशा व दूरी – बजानिब दक्षिण दिशा, लगभग 450 किलोमीटर
(2) पता – डॉ. अन्नपूर्णा शुक्ला, स्त्री एवं प्रसूती रोग विशेषज्ञ का रिहाईशी फ्लेट नम्बर जी.–04, विनायक रेजीडेन्सी, निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ ।
..... बीट संख्या ..... जरायमदेही संख्या .....
(3) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना ..... जिला .....

6. परिवादी/सूचनाकर्ता –
<u>परिवादी</u>
(1) नाम : श्री भैरू लाल मेघवाल
(2) पिता का नाम : श्री नन्दलाल मेघवाल
(3) आयु : 37 साल
(4) राष्ट्रीयता : भारतीय
(5) पासपोर्ट संख्या ..... जारी होने की तिथि ..... जारी होने की जगह .....
(6) व्यवसाय : ठेकेदारी
(7) पता : निवासी ग्राम कासोद, तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ ।

7. ज्ञात/अज्ञात/ संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :
1. डॉ. अन्नपूर्णा शुक्ला पत्नि श्री हरिशंकर खेडिया उम्र 32 साल जाति ब्राहम्ण निवासी महावीर विस्तार सैकण्ड प्लाट नम्बर 06, करतारपुरा जयपुर हाल स्त्री एवं प्रसूती रोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ ।
2. श्रीमती धापू बाई पत्नि श्री माधव लाल जटिया, जाति जटिया उम्र 40 साल निवासी डाक बंगला रोड, शास्त्रीनगर, पुलिस थाना कोतवाली निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ हाल सहायक कर्मचारी (प्राईवेट ठेकेदारी के अन्तर्गत) जिला चिकित्सालय निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ ।

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण –

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विषिष्ठता (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)

कम. सं.	सम्पत्ति का प्रकार	अनुमानित मूल्य	वस्तु स्थिति
1.	भारतीय चलन मुद्रा	3000 रूपये	परिवादी श्री भैरू लाल मेघवाल से (1) आरोपिता डॉ. अन्नपूर्णा शुक्ला, स्त्री एवं प्रसुति रोग विशेषज्ञ राजकीय जिला चिकित्सालय निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ द्वारा उसकी पत्नि की सिजेरियन डिलेवरी करने के उपरान्त 3000 रूपये की रिश्वत राशि प्राप्त करना तथा (2) श्रीमती धापू

बाई सहायक कर्मचारी (प्राईवेट ठेकेदारी के अन्तर्गत) जिला चिकित्सालय निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ द्वारा परिवादी श्री भैरू लाल मेघवाल से 2500 रूपये रिश्वत राशि के प्राप्त कर पुनः लौटाना प्रमाणित पाया गया है जो कि जुर्म अन्तर्गत धारा 7 पी.सी. एक्ट 1988 (यथा संशोधन 2018), 168, 177, 420, 34, एवं सपठित धारा 120बी आई.पी.सी. के तहत प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है ।

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य – 3000 रूपये रिश्वत राशि
11. पंचनामा/यू. डी. केस संख्या (अगर हो तो)
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)

सेवामें,

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चितौड़गढ़/प्रतापगढ

विषय : – कानूनी कार्यवाही कराने बाबत् ।

महोदयजी,

उपरोक्त विषय मे निवेदन है कि "मै भैरू लाल मेघवाल कासोद निम्बाहेडा का रहने वाला हूं । मेरी धर्मपत्नि श्रीमती हीरा बाई की सिजेरियन डिलवेरी जिला चिकित्सालय निम्बाहेडा की डॉ. अन्नपूर्णा शुक्ला द्वारा यह कहकर निश्चित समय से 20 दिन पूर्व जच्चा–बच्चा को खतरा बताकर कर दी गई है तथा उक्त कार्य के लिये डॉ. अन्नपूर्णा शुक्ला एवं उसकी सहायक कर्मचरी श्रीमती धापू बाई द्वारा खर्चे–पानी के 4000 रूपये रिश्वत के रूप में मांगे जा रहे है मैं इनको रिश्वत नही देना चाहता हूं बल्कि इन दोनो रिश्वत लेते हुए पकडवाना चाहता हूं । मेरी इन दोनो से कोई आपसी रंजिश नही है ना कोई उधार का लेन–देन बकाया है ना ही कोई राजकीय राशि जमा कराना शेष है । कृपया कानूनी कार्यवाही करावें ।

दिनांक 26.05.2023

प्रार्थी
एस.डी./–
भैरू लाल मेघवाल,
कासोद निम्बाहेडा
9829536159

कार्यवाही पुलिस

दिनांक 26.05.2023 समय करीब 05.40 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी, निम्बाहेडा बडौली माधोसिंह चौराहा के पास, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के पास पहूंचा जहां रोड साईड में पूर्व से मौजूद कानि0 श्री जितेन्द्र सिंह एवं परिवादी श्री भैरू लाल मौजूद मिलें, परिवादी को सूना गया परिवादी की पत्नि निम्बाहेडा के सामान्य अस्पताल में दिनांक 23.05.2023 को भर्ती करवाना बताया है जिसके सिजेरियन ऑपरेशन से पुत्र हुआ है उसकी एवज में डॉ. अन्नपूर्णा द्वारा 3000 रूपये की मांग की जा रही है, परिवादी तथा डॉ. अन्नपूर्णा के मध्य रिश्वत मांग का ऑडियों भी सुना गया जिसमें डिमाण्ड स्पष्ट है, परिवादी ने बताया उसकी चिकित्सक से कोई अदावत नही है । मामला धारा 7 पी.सी. एक्ट के अपराध का है । अतः अग्रिम कार्यवाही में अग्रसर होता हूं ।

दर्ज रहे कि दिनांक 25.05.2023 को समय करीब 05.50 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाश सिंह सांदू भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो प्रतापगढ के मोबाईल नम्बर 9928005800 पर एसीबी हैल्प लाईन नम्बर से मोबाईल नम्बर 9785132400 उपलब्ध करवाकर निर्देश दिया गया कि इस नम्बर पर वार्ता कर अग्रिम कार्यवाही सुनिष्चित करें । परिवादी ब्यूरो कार्यालय प्रतापगढ से कार्यवाही करवाना चाहता है जिस पर मेरे द्वारा अग्रिम कार्यवाही करेते हुए दिये गये नम्बरों पर

सम्पर्क किया गया और बताया कि श्री जितेन्द सिंह आपसे सम्पर्क कर आपका कार्य करवायेगा । कानि0 श्री जितेन्द्र को उक्त मोबाईल नम्बर दिये जाकर उससे वार्ता कर मुझे अवगत करावें । परिवादी ने शिकायत की कि मेरी पत्नि श्रीमती हीरा बाई की सिजेरियन डिलेवरी जिला चिकित्सालय निम्बाहेडा में डॉ. अन्नपूर्णा शुक्ला द्वारा दिनांक 23.05.2023 को की गई है । सिजेरयिन डिलेवरी होने के बाद से ही लगातार डॉ. अन्नपूर्णा शुक्ला, स्त्री एवं प्रसूती रोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ एवं उसके अधिनस्थ पदस्थापित श्रीमती धापू बाई सहायक कर्मचारी द्वारा खर्चे–पानी के 4000 रूपये की रिश्वत राशि मांगी जा रही है । मैं इन दोनो को रिश्वत राशि नही देना चाहता हूं बल्कि इनको रिश्वत राशि लेते हुए पकडवाना चाहता हूं । मेरी इनसे कोई आपसी रंजिश नही है और ना ही कोई पुराना उधार का लेन–देन बकाया है एवं ना ही कोई राजकीय राशि जमा कराना शेष है । चुंकि मामला रिश्वत राशि लेन–देन से सम्बन्धित होने से अतः रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से परिवादी श्री भैरू लाल मेघवाल को रिश्वत राशि मांग सत्यापन की कार्यवाही से अवगत कराया गया जिस पर परिवादी द्वारा रिश्वत राशि मांग सत्यापन की कार्यवाही करवाने की सहमति देने पर परिवादी के कहे अनुसार उसे बताया कल दिनांक 26.05.2023 को हमारें कार्यालय के श्री जितेन्द्र सिंह कानि0 निम्बाहेडा में आपसे आर.एस.ई.बी. चौराया निम्बाहेडा के बाहर पहूंच सम्पर्क कर लेगा, आप कल दिनांक 26.05.2023 को प्रातः 09.30 ए. एम पर आर.एस.ई.बी. चौराया निम्बाहेडा पर मिल जाना तथा उक्त कार्यवाही हेतु एक लिखित प्रार्थना पत्र श्री जितेन्द्र सिंह कानि0 को दे देना । श्री जितेन्द्र सिंह कानि0 आपको सरकारी डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर में रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु चालु व बन्द कर सिखा देगा ।

दिनांक 26.05.2023 को समय करीब 08.15 ए.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाश सिंह सांदू भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो प्रतापगढ ने श्री जितेन्द्र सिंह कानि0 को बुलाकर हिदायत दी कि निम्बाहेडा जाकर आर.एस.ई.बी. चौराहा पहूंच परिवादी श्री भैरू लाल मेघवाल के मोबाईल पर सम्पर्क कर उससे कार्यवाही हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त कर, प्रार्थना पत्र को पढकर अंकित तथ्यों के बारे में मुझे जरिये दूरभाष अवगत करा, परिवादी से वार्ता करा, परिवादी को डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर चालु व बन्द करने की समझाईश कर परिवादी के हमराह जाकर रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करावें । श्री जितेन्द्र सिंह कानि0 को डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर सुपुर्द कर हिदायत मुनासिब कर बजानिब आर.एस.ई.बी. चौराहा निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ की ओर रवाना किया । इसके उपरान्त समय करीब 11.06 ए.एम. पर श्री जितेन्द्र सिंह कानि0 ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल पर कॉल कर बताया कि परिवादी श्री भैरूलाल मेघवाल से मुलाकात हो गई है तथा उससे लिखित प्रार्थना पत्र प्राप्त कर लिया है तथा उसे डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर को चालु व बन्द करना सिखा दिया है तथा उसने श्रीमती धापू बाई की वार्ता रिकॉर्ड कर ली तथा डॉ. अन्नपूर्णा से वार्ता होना शेष है । साथ ही श्री जितेन्द्र सिंह कानि0 ने परिवादी श्री भैरूलाल मेघवाल से वार्ता कराई तो परिवादी ने उक्त तथ्यों की ताईद की । तत्पश्चात् समय करीब 11.15 ए.एम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाश सिंह सांदू द्वारा रिश्वत राशि मांग सत्यापन की कार्यवाही हेतु श्री जितेन्द्र सिंह कानि0 को भेजे जाने तथा रिश्वत राशि मांग सत्यापन की कार्यवाही होने के उपरान्त ट्रेप कार्यवाही किये जाने की संभावना को देखते हुए एहतियातन दो स्वतन्त्र गवाहान की आवश्यकता होने से जरिये दूरभाष अधीक्षण अभियन्ता चित्तौडगढ को दो स्वतन्त्र गवाहान भिजवाने हेतु निवेदन किया जिस पर उनके द्वारा दो स्वतन्त्र गवाहान भिजवाने हेतु आश्वस्त किया गया । इसके उपरान्त समय करीब 11.40 ए.एम पर पूर्व से पाबन्द शुदा दो स्वतन्त्र गवाहान (1) श्री ऋषभ भार्गव पुत्र श्री भरतराम शर्मा उम्र 43 साल जाति ब्राहम्ण निवासी बिहारीगंज करेरा, जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश हाल निवास स्थान मकान नम्बर 13, तुलसी रेजीडेन्सी, चामटी खेडा रोड चित्तौडगढ हाल सहायक अभियन्ता, (प.व.स.–01) कार्यालय अजमेर विधुत वितरण निगम लिमिटेड, चित्तौडगढ, मोबाईल नम्बर 9413391921 एवं (2) श्री धर्मेन्द्र कुमार गुप्ता पुत्र श्री राजेन्द्र गुप्ता उम्र 32 साल जाति अग्रवाल निवासी मकान नम्बर 101 सी–स्कीम, कर्मचारी कॉलोनी गंगापुर सीटी जिला सवाई माधोपुर हाल निवास स्थान मकान नम्बर 27 सेठ सांवरिया नगर प्रतापनगर चित्तौडगढ

हाल कनिष्ठ अभियन्ता, (प.व.स.–01) कार्यालय अजमेर विधुत वितरण निगम लिमिटेड, चित्तौडगढ, मोबाईल नम्बर 94140–68558 ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ पर उपस्थित आये जिन्हें कार्यालय में बैठाया गया । तत्पश्चात् समय करीब 04.30 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाश सिंह को श्री जितेन्द्र सिंह कानि0 ने जरिये मोबाईल फोन से अवगत कराया कि परिवादी श्री जितेन्द्र सिंह कानि0 द्वारा संदिग्ध डॉक्टर अन्नपूर्णा शुक्ला स्त्री एवं प्रसूती रोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ की राजकीय हॉस्पीटल निम्बाहेडा एवं उसके घर पर जाकर परिवादी श्री भैरू लाल मेघवाल ने उससे रिश्वत मांग से सम्बन्धित वार्ता कर ली गई है तथा संदिग्ध डॉक्टर द्वारा 3000 रूपये रिश्वत राशि की मांग की गई है । परिवादी श्री भैरू लाल मेघवाल ने भी उपरोक्त तथ्य की पुष्टि करते हुए बताया कि मैने डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर चालुकर साथ ले जाकर अभी कुछ देर पहले डॉक्टर साहब के घर जाकर उनसे रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता कर ली है जिस पर उन्होने मेरे से मेरी पत्नि श्रीमती हीराबाई की सिजेरियन डिलेवरी करने की एवज में खर्चे–पानी के 3000 रूपये रिश्वत के रूप में मांगे है तथा उन्होने मेरे रिश्वत राशि आज ही मांगी है, रिश्वत राशि के रूप मे देने हेतु 3000 रूपये मेरे पास है । इसके उपरान्त समय करीब 04.45 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाश सिंह द्वारा संचित निरीक्षक रिजर्व पुलिस लाईन चित्तौडगढ से जरिये दूरभाष वार्ता कर दो महिला पुलिसकर्मीयों को अविलम्ब ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ पर भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया जिस पर समय करीब 05.05 पी.एम. पर ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ पर पूर्व से पाबन्द शुदा दो महिलाकर्मी उपस्थित आई जिस पर उक्त दोनो पुलिसकर्मीयों से उनका नाम पता पूछा तो एक ने अपना नाम श्रीमती सुश्री रंजना ए.एस.आई एवं दुसरे ने अपना नाम श्रीमती अमृता हैड कानि0 नम्बर 98 रिजर्व पुलिस लाईन चित्तौडगढ होना बताया जिस पर उक्त दोनों ब्यूरो कार्यालय के अन्य कक्ष में बैठाया गया । इसके उपरान्त समय करीब 05.10 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाश सिंह सांदू मय दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री ऋषभ भार्गव, श्री धर्मेन्द्र कुमार गुप्ता तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यगण सुश्री रंजना ए.एस.आई, श्रीमती अमृता हैड कानि0 एवं श्री ओमप्रकाश हैड कानि0 मय टवेरा वाहन नम्बर आर.जे. 14 यू.सी. 8792 मय चालक श्री जयराम कानि0 के एवं श्री श्याम लाल हैड कानि0, श्री दलपत सिंह हैड कानि0, श्री खालिद हुसैन कानि0, श्री सुनिल कुमार कानि0 मय लेपटोप व प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स व ट्रेप कार्यवाही से सम्बन्धित आवष्यक सामग्री के जरिये सरकारी वाहन टवेरा नम्बर आर.जे.14 यू.बी. 8592 मय चालक श्री शेर सिंह कानि0 ड्राईवर नम्बर 296 को निर्देशित कर ब्यूरो कार्यालय के मालखाने से फिनोफ्थ्लीन पाउडर की शिशि को निलकवाकर सरकारी वाहन टवेरा के डैशबोर्ड में रखवाई जाने के उपरान्त सभी वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु निम्बाहेडा की ओर दोनो वाहनों के रवाना होकर समय करीब 05.40 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान दोनो सरकारी वाहनों के रवाना शुदा बडौली माधोसिंह चौराहा निम्बाहेडा–प्रतापगढ हाईवे रोड के पास स्थित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, निम्बाहेडा के पास पहुॅचें जहां पर सामने की तरफ साईड में अन्दर की ओर बने रोड पर श्री जितेन्द्र सिंह कानि0 एवं उसके साथ एक व्यक्ति ओर खडा मिला जिस पर श्री जितेन्द्र सिंह कानि0 ने पास में खडे व्यक्ति का नाम श्री भैरू लाल मेघवाल होना बताते हुए परिवादी के रूप में परिचय दिया था । इसके उपरान्त मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री भैरू लाल मेघवाल को अपना तथा हमराहियान का परिचय देकर उसका परिचय दोनो स्वतन्त्र गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यों से करवाया गया तथा परिवादी श्री भैरूलाल ने अपना नाम भैरूलाल मेघवाल पुत्र श्री नन्द लाल जी मेघवाल जाति मेघवाल उम्र 37 साल निवासी ग्राम कासोद तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ होना बताया । इसके पश्चात् श्री जितेन्द्र सिंह ने परिवादी श्री भैरू नाल मेघवाल का लिखित प्रार्थना पत्र एवं डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर पेश किया जिस पर परिवादी के उक्त प्रार्थना पत्र को दोनो गवाहान को पढ़कर सुनाया गया तो परिवादी ने भी शब्द–ब–शब्द सही होना स्वीकार किया व रिपोर्ट पर दोनो स्वतन्त्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये तथा डिजिटल टेप रिकॉर्डर को चालू करवाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनों गवाहान द्वारा रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के मुख्य अंशों को को सुनाया गया तो रिश्वत राशि मांग का सत्यापन होना बताया तथा दोनो गवाहान के द्वारा भी रिश्वत राशि की मांग

सत्यापन की पुष्टि की गई । रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ताओं की फर्द ट्रांसक्रिप्ट पृथक से तैयार की जावेगी ।

इसके उपरान्त समय करीब 06.00 पी.एम. पर उपरोक्त गवाहान के समक्ष मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाश सिंह सांदू द्वारा परिवादी भैरूलाल मेघवाल पुत्र श्री नन्द लाल जी मेघवाल जाति मेघवाल उम्र 37 साल निवासी ग्राम कासोद तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ को संदिग्ध श्रीमती अन्नपूर्णा शुक्ला, स्त्री एवं प्रसूती रोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ को दी जाने वाली रिश्वत राशि पेश करने हेतु कहने पर परिवादी ने अपने पास से 500--500 रूपये के 06 नोट कुल 3000 रूपये के करेन्सी नोट पेश किये । उपरोक्त समस्त नोटों के नम्बर निम्नानुसार है : –

1	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	9 FD 513255
2	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	0 KE 806737
3	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	9 FP 156151
4	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	9 MT 919881
5	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	6 LA 633620
6	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	6 LA 633621

परिवादी श्री भैरूलाल मेघवाल द्वारा पेश किये गये उक्त समस्त नोटो पर शेर सिंह कानि0 चालक नम्बर 296 के पास सरकारी वाहन नम्बर टवेरा नम्बर आर.जे. 14 यू.बी. 8592 के डैशबोर्ड में सुरक्षित रखवाई गई फिनोफ्थ्लीन पाउडर की शीशी को मंगवाया जाकर उपरोक्त समस्त नोटों के दोनों ओर फिनोफ्थ्लीन पाउडर लगवाया जाकर नोटों को परिवादी भैरूलाल मेघवाल की पहनी हुई पेन्ट के दाहिनी साईड की जेब में रखवाये गये । इसके अतिरिक्त श्री भैरूलाल मेघवाल के पास अन्य कोई शैः नही छोडी गई । तत्पश्चात् श्री श्याम लाल हैड कानि0 नम्बर 105 से एक साफ कॉच के गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा । इस रंगहीन घोल में श्री शेर सिंह कानि0 चालक नम्बर 296 की उंगलियों व अंगुठे को डूबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबी हो गया । इस प्रकार परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थ्लीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर बताई गई एवं उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि यदि संदिग्ध द्वारा परिवादी से रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगा तो नोटों पर लगा फिनोफ्थलीन पाउडर उसकी हाथों की अंगुलियों व अंगुठे पर लग जाएगा और जब उसके हाथों की उंगलियों व अंगुठे को उपरोक्तानुसार धुलाई जाएगी तो घोल का रंग गुलाबी हो जाएगा, जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपिता ने रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी घोल को श्री शेर सिंह कानि0 चालक नम्बर 296 से बाहर फिंकवाकर फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी पुनः सुरक्षित मालखाने मे रखवाई गई तथा उपरोक्त कांच के गिलास को दो बार साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये, परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि वह आरोपिता के द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर ही उसे देवे तथा रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद उसके शरीर के किसी अंग को नहीं छुए । यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करें । परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रर्दशन न करे, तथा रिश्वती राशि दे चुकने के बाद अपने सिर पर हाथ फैरकर गोपनीय निर्धारित ईशारा करें । यह निर्धारित ईशारा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को समझाया गया । श्री श्याम लाल हैड कानि0 नम्बर 105 से ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाली कांच की शिशियॉ, गिलास, ढक्कन चम्मच इत्यादि को साफ पानी व साबुन से दो बार धुलवाकर ट्रेप बॉक्स में रखवाये गये। इसके पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनो स्वतन्त्र गवाहान, परिवादीग एवं स्टाफ का आपस मे परिचय करवाया गया । तत्पश्चात गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी–अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादी तथा आरोपी के मध्य रिश्वती राशि के लेन–देन को देखने व सुनने का प्रयास करें

एवं परिवादी श्री भैरूलाल मेघवाल को डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर देते हुए हिदायत दी गई कि वह रिश्वती राशि के लेन–देन के वक्त आरोपी से होने वाली वार्तालाप को टेप करें । परिवादी, स्वतंत्र गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये । उपरोक्त कार्यवाही की फर्द तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये । श्री शेर सिंह कानि0 को पुनः फिनोफ्थ्लीन पाउडर की शिशि का सुपुर्द कर सरकारी वाहन नम्बर टवेरा नम्बर आर.जे. 14 यू.बी. 8592 के डैशबोर्ड में सुरक्षित रखवाई गई तथा श्री शेर सिंह कानि0 चालक को वाहन में ही बैठे रहने की हिदायत दी गई । उक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तीब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा शामील कार्यवाही की गई ।

इसके उपरान्त समय 06.20 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाश सिंह सांदू द्वारा परिवादी श्री जितेन्द्र सिंह कानि0 एवं श्री भैरू लाल मेघवाल को प्राईवेट वाहन से रवाना करने के उपरान्त मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाश सिंह सांदू मय दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री ऋषभ भार्गव, श्री धर्मेन्द्र कुमार गुप्ता तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यगण सुश्री रंजना ए.एस.आई, श्रीमती अमृता हैड कानि0 एवं श्री ओमप्रकाश हैड कानि0 मय टवेरा वाहन नम्बर आर.जे. 14 यू.सी. 8792 मय चालक श्री जयराम कानि0 के एवं श्री श्याम लाल हैड कानि0, श्री दलपत सिंह हैड कानि0, श्री खालिद हुसैन कानि0, श्री सुनिल कुमार कानि0 मय लेपटोप व प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स व ट्रेप कार्यवाही से सम्बन्धित आवष्यक सामग्री के जरिये सरकारी वाहन टवेरा नम्बर आर.जे.14 यू.बी. 8592 मय चालक श्री शेर सिंह कानि0 ड्राईवर नम्बर 296 के सभी वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु निम्बाहेडा शहर की ओर दोनो वाहनों के रवाना होकर समय करीब 06.25 पी.एम. पर हम सभी हमराहियान उपरोक्त फिगरा का रवाना शुदा निम्बाहेडा–उदयपुर रोड पर बने विनायक कॉम्पलेक्स, से कुछ पहले पहूंच सभी वाहनों को एक साईड मे खडा करवाकर श्री शेर सिंह कानि0 चालक एवं श्री जयराम कानि0 चालक को वाहनों के अन्दर छोडकर परिवादी श्री भैरू लाल मेघवाल को गाडी से उतार कर संदिग्ध डॉ. अन्नपूर्णा शुक्ला, स्त्री एवं प्रसूती रोग विशेषज्ञ को रिश्वत राशि देने हेतु पैदल–पैदल ही उसके निवास स्थान की ओर रवाना करते हुए परिवादी को पुनः हिदायत की गई कि उसके पास रखी डिजिटल टेप रिकॉर्डर को चालु कर रिश्वत राशि लेन–देन के वक्त होने वाली वार्ता को रिकॉर्डर मे रिकॉर्ड करें तथा स्वतन्त्र गवाह श्री धर्मेन्द्र गुप्ता को मौकेकी कार्यवाही को रिकॉर्ड करने हेतु निर्देश दिये तथा परिवादी के पीछे–पीछे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दोनों गवाहान व स्टाफ के सदस्यगण भी अपनी–अपनी उपस्थिति को छूपाते हुए विनायक रैजीडेन्सी के आस–पास खडे होकर सभी सदस्य परिवादी के निर्धारित ईशारे का इन्तजार करने लगे।

इसके उपरान्त समय 07.00 पी.एम. पर दर्ज रहे कि समय करीब 06.35 पी.एम पर परिवादी श्री भैरू लाल मेघवाल ने डॉ0 अन्नपूर्णा शुक्ला, स्त्री एवं प्रसूती रोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ के रिहाईशी फ्लेट नम्बर जी.–04, विनायक रेजीडेन्सी, निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ के कमरे के बाहर खडे होकर अपने सिर पर हाथ फैरकर पूर्व निर्धारित गोपनीय ईशारा किया जिस पर श्री जितेन्द्र सिंह कानि0 ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ईशारा किया जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दोनो स्वतन्त्र गवाहान मय ट्रेप पार्टी सदस्यों के तेज–तेज कदमों से चलते हुए परिवादी श्री भैरू लाल मेघवाल के पास पहुँचे जिस पर परिवादी श्री भैरू लाल मेघवाल ने डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर पेश किया जिसे बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा तथा परिवादी श्री भैरू लाल मेघवाल को साथ लेकर डॉ. अन्नपूर्णा शुक्ला के आवास/कक्ष मे प्रवेश किया जहां पर सलवार–कुर्ती पहने हुए एक महिला टेबल कुर्सी पर कार्य कर रही था जिसकी ओर परिवादी श्री भैरू लाल मेघवाल ने ईशारा करते हुए बताया कि यही अन्नपूर्णा शुक्ला डॉ. साहब है जिन्होनें अभी–अभी मेरे से 3000 रूपये रिश्वत राशि अपने हाथ मे लेकर अपने अपने रखी हुई सामने की टेबल की प्रथम दराज में रखी थी । इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने उक्त महिला को अपना व हमराहियान का परिचय देते हुए आने के मन्तव्य से अवगत कराते हुए उससे उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम डॉ. अन्नपूर्णा शुक्ला पत्नि श्री हरिशंकर खेडिया उम्र 32 साल जाति ब्राहम्ण निवासी महावीर विस्तार सैकण्ड प्लांट नम्बर 06, करतारपुरा जयपुर हाल स्त्री एवं प्रसूती रोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ होना बताया । इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस

अधीक्षक ने आरोपिता डॉ. अन्नपूर्णा शुक्ला, स्त्री एवं प्रसूती रोग विशेषज्ञ से परिवादी श्री भैरू लाल मेघवाल की पत्नि श्रीमती हीरा बाई की सिजेरियन डिलेवरी करने के उपरान्त अभी–अभी कुछ देर पूर्व अपनी मांग अनुसार 3000 रूपये रिश्वत राशि ग्रहण की है क्या ? के सम्बन्ध में पूछा तो " डॉ. अन्नपूर्णा शुक्ला ने बताया कि आप उसी पेशेन्ट के साथ आये हो ना जो अभी मुझे 03 हजार रूपये देकर गया है, मैने उससे नही मांगे, मैने उसे कहा कि अपनी खुशी से दे देना, हम किसी को नही कहते जिसकी ईच्छा हो देवे तो ठिक नही देवे तो ठिक, मैनें फोर्सफुली नही कहा, बहुत से लोग खुशी से दे जाते है, मैनें नही मांगे है, स्टाफ को लगता है कि मैं हर केस मे पैसे ले रही हूं । मैं ऐसा नही करती । डॉ. रितेश जैन ऐसा करते थे । स्टाफ को भी पैसे चाहिये । इस पेशेन्ट ने भी मुझे खुशी से दिये है । मैनें 04 हजार रूपये नही 03 हजार रूपये मांगे है" इस पर परिवादी ने स्वतः ही बताया कि डॉ. अन्नपूर्णा शुक्ला झुठ बोल रही है, इन्होने ने मेरी पत्नि श्रीमती हीरा बाई एवं होने वाले बच्चे की जान का खतरा बताकर समय से करीब 20 दिन पूर्व सिजेरियन डिलेवरी कर दी है तथा सिजेरियन डिलेवरी करने के खर्चे पानी के रूप 03 हजार रूपये की मांग कर अभी कुछ समय पूर्व मेरे से लेकर अपनी टेबल की दराज मे रखे है एवं इनकी सहायक कर्मचारी श्रीमती धापू बाई भी उक्त कार्य के लिये 04 हजार रूपये की मांग कर रही है मैने उससे 03 हजार रूपये देना चाहा, 03 हजार रूपये मैं नही लूंगी पूरे 04 हजार रूपये लगेगें । यदि कम देना है तो तुम सीधे ही डॉ. मैडम को दे देना । इसी दौरान आरोपिता के मोबाईल से उसके पति श्री हरिशंकर खेडिया एवं उसकी सहायक श्रीमती धापू बाई से वार्ता कराई गई तो श्रीमती धापू बाई ने उक्त वार्ता में स्वीकार किया कि 2500 रूपये उसने परिवादी से लिये थे किन्तु बाद में उसे पुनः लौटा दिये साथ ही यह भी स्वीकार किया कि उसने डॉ. अन्नपूर्णा के लिये रूपये नही मांगे थे । श्रीमती धापू बाई से कराई गई वार्ता को नियमानुसार ब्यूरो द्वारा रिकॉर्ड किया गया है ।

इसके पश्चात् आरोपिता द्वारा परिवादी श्री भैरू लाल मेघवाल से रिश्वत राशि ग्रहण करने का उचित संदेह होने से आरोपिता के हाथो के धोवन लेने की प्रकिया प्रारम्भ की गई । दोनो स्वतन्त्र गवाहों के समक्ष ट्रेप बाक्स में रखे दो साफ कॉच के गिलास निकाल कर उन्हें साफ पानी से धुलवाकर साफ पानी भरवाकर दोनो में एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया गया जिसे हाजरीन द्वारा रंगहीन होना स्वीकार करने पर डॉ. अन्नपूर्णा शुक्ला स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ के दोनो हाथों की अगुलियों एवं अंगुठे को बारी–बारी से अलग–अलग गिलासों के रंगहीन घोल मे डूबोकर धुलवाया गया तो दोनो हाथों के धोवन का रंग मटमैला हो गया जिसे गवाहान ने भी स्वीकार किया। उक्त घोल को 04 कांच की साफ शीशीयों में आधा–आधा भरवाकर मार्क आर.एच.–1 एवं आर.एच–2, मार्क एल.एच.–1 एवं एल.एच–2 अंकित कर सीलचिट कर चिट व कपड़े पर दोनो गवाहान, परिवादी एवं आरोपिता के हस्ताक्षर करवा शिशियां कब्जे ब्यूरो ली गई ।

इसके आरोपिता की टेबल की उपर वाली प्रथम दराज की तलशी गवाह श्री धर्मेन्द्र कमार गुप्ता से लिवाई गई तो गवाह ने 500–500 रूपये के कुछ नोट निकालकर पेश किये जिन्हें दोनो गवाहान से गिनवाया तो 500–500 के 06 नोट कुल 3000 रूपये होना बताया। दोनो स्वतन्त्र गवाहों से उक्त राशि के नम्बरों का मिलान पूर्व में बनी फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट से करवाया गया तो नोटो के नम्बरों का मिलान हूबहू होना पाया गया। नोटो के नम्बरों का विवरण निम्नानुसार है : –

1	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	9 FD 513255
2	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	0 KE 806737
3	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	9 FP 156151
4	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	9 MT 919881
5	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	6 LA 633620
6	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	6 LA 633621

उपरोक्त बरामदशुदा नोटो पर एक सफेद कागज की चिट लगाकर सिल्ड् कर आरोपिता परिवादी व दोनो स्वतन्त्र गवाहान के हस्ताक्षर करवा कब्जे ब्यूरो लिए गये।

इसके पश्चात् एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी भरवाकर उसमे एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया गया जिसे हाजरीन द्वारा रंगहीन होना स्वीकार करने पर डॉ. अन्नपूर्णा शुक्ला स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ की टेबल की उपरी प्रथम दराज में रिश्वत राशि सम्पर्क स्थान पर एक साफ रूंई के फोऐ को फैरकर सोडियम कार्बोनेट के घोल में डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग मटमैला हो गया जिसे गवाहान ने भी स्वीकार किया। उक्त घोल को 02 कांच की साफ शीशीयों में आधा–आधा भरवाकर मार्क डी.–01, डी–02 अंकित कर सीलचिट कर चिट व कपड़े पर दोनो गवाहान, परिवादी एवं आरोपिता के हस्ताक्षर करवा शिशियां कब्जे ब्यूरो ली गई । इसके बाद आरोपिता डॉ. अन्नपूर्णा शुक्ला से परिवादी की पत्नि श्रीमती हीराबाई की सिजेरियन डिलेवरी एवं ईलाज के कागजातों के बारे में पूछा तो कहा कि उससे सम्बन्धित समस्त कागजात जिला चिकित्सालय निम्बाहेडा में ही मिलगें । इस पर परिवादी की पत्नि से सम्बन्धित दस्तावेजात् की तलबी हेतु पृथक से पत्राचार किया जाकर मंगवाया जावेगा । उक्त कार्यवाही की बरामदगी के दौरान आरोपिता से तथा परिवादी से पूछताछ के दो विडियों तैयार किये गये जिनकी सीडी पृथक से जरिये फर्द तैयार कर वजह सबूत कब्जे ब्यूरो ली जावेगी ।

उपरोक्त समस्त कार्यवाही की लिखा पढी जरिये लेपटॉप मौके पर श्रीमती अन्नपूर्णा शुक्ला, स्त्री एवं प्रसूती रोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ का रिहाईशी फ्लेट नम्बर जी.–04, विनायक रेजीडेन्सी निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ में बैठकर की गई। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्वती राशि अलग से मूर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। कार्यवाही के दौरान ब्यूरो कार्यालय प्रतापगढ की सील उपलब्ध नही होने के कारण से उक्त कार्यवाही में ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ की सील का प्रयोग किया गया है ।

इसके उपरान्त समय करीब 09.30 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपिता डॉ0 अन्नपूर्णा शुक्ला, स्त्री एवं प्रसूती रोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ के रिहाईशी आवास फ्लेट नम्बर जी.–04, विनायक रेजीडेन्सी, निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ की खाना तलाशी नियमानुसार उसके पति श्री हरिशंकर खेडिया एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष ली जाकर फर्द खाना तलाशी पृथक से तैयार की गई जिस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये । तत्पश्चात् समय करीब 10.05 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री भैरू लाल मेघवाल की निशांदेही से दोनों गवाहान व आरोपिता डॉ0 अन्नपूर्णा शुक्ला, स्त्री एवं प्रसूती रोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ के समक्ष घटनास्थल का निरीक्षण कर फर्द नक्शा मौका घटनास्थल पृथक से मूर्तिब किया जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये । इसके उपरान्त समय करीब 10.30 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपिता डॉ0 अन्नपूर्णा शुक्ला, स्त्री एवं प्रसूती रोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ के विरूद्व की गई ट्रेप कार्यवाही में आरोपिता को गिरफ्तार किया जाना आवश्यक है तथा रात्री का समय होने से आरोपिता को रात्री में गिरफ्तार करने से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित न्यायिक मजिस्ट्रेट निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ से आदेश प्राप्त करने हेतु जरिये तहरीर हमराह सुश्री रंजना ए.एस.आई के रवाना हुआ और समस्त जाप्ते को मय आरोपिया के साथ कोतवाली निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ पहूंचने के निर्देश दिये । इसके पश्चात् समय करीब 10.55 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय जाप्ता उपरोक्त फिगरा का रवाना शुदा सी.जे.एण्ड जे.एम निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ से आरोपिता डॉ0 अन्नपूर्णा शुक्ला, स्त्री एवं प्रसूती रोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ को गिरफ्तार करने का लिखित में आदेश प्राप्त कर पुलिस थाना कोतवाली निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ पर उपस्थित आया तथा समस्त जाप्ते को एवं आरोपिया मय श्रीमती अमृता हैड कानि0 पुलिस थाना कोतवाली निम्बाहेडा पर समस्त जब्त शुदा आर्टिकल्स के आ चुके है । इसके उपरान्त समय करीब 11.00 पी.एम. पर उपरोक्त मौतबिरान के समक्ष आरोपिता श्रीमती अन्नपूर्णा शुक्ला स्त्री एवं प्रसूती रोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ को उसके किये गये जुर्म से अवगत

कराया जाकर हस्बकायदा गिरफतार करने से पूर्व माननीय न्यायाधीश महोदय सी.जे.एण्ड जे.एम निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ से आरोपिता श्रीमती अन्नपूर्णा शुक्ला को गिरफ्तार करने का लिखित में आदेश प्राप्त करने के पश्चात् आरोपिता श्रीमती अन्नपूर्णा शुक्ला पत्नि श्री हरिशंकर खेडिया उम्र 32 साल जाति ब्राहम्ण निवासी महावीर विस्तार सैकण्ड प्लाट नम्बर 06, करतारपुरा जयपुर हाल स्त्री एवं प्रसूती रोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ की जामा तलाशी सुश्री रंजना ए.एस.आई से लिवाई गई तो आरोपिता के पास पहने हुये पार्चेजात के अलावा अन्य कोई वस्तु नही मिली एवं ना ही कब्जे पुलिस ली गई । श्रीमती अन्नपूर्णा शुक्ला की गिरफ्तारी के दौरान नियमानुसार कानून की परिधि मे रहकर पूर्ण शालीनता एवं महिला गरीमा का पूर्ण ध्यान रखते हुए फर्द गिरफ्तारी तैयार की गई । इसके उपरान्त समय करीब 11.20 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उपरोक्त मौतबिरानों के रूबरू दौराने पूछताछ पर आरोपिता श्रीमती अन्नपूर्णा शुक्ला, स्त्री एवं प्रसूती रोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ के मोबाईल नम्बर 6377080287 से उसके अधिनस्थ पदस्थापित कर्मचारी श्रीमती धापू के मोबाईल पर रिश्वत राशि लेने के उपरान्त पूर्व में श्रीमती धापू द्वारा भी परिवादी श्री भैरू लाल मेघवाल की पत्नि की सिजेरियन डिलेवरी करवाने की एवज में 2500 रूपये की रिश्वत राशि ग्रहण लौटाई जाने की पुष्ठि की गई थी के सम्बन्ध में वार्ता करवाई गई थी जिस पर उक्त मोबाईल पर करवाई गई वार्ता को नियमानुसार ब्यूरो के डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर में आरोपिता के मोबाईल फोन के स्पीकर को ओपन स्पीकर करवाकर रिकॉर्डिंग की गई। उक्त मोबाईल वार्ता आरोपिता श्रीमती अन्नपूर्णा शुक्ला, स्त्री एवं प्रसूती रोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ एवं श्रीमती धापू सहायक कर्मचारी के मध्य रिश्वत राशि लेन–देन से सम्बन्धित होने से आरोपिता डॉ. अन्नपूर्णा शुक्ला, स्त्री एवं प्रसूती रोग विशेषज्ञ से जप्तशुद्धा मोबाईल सैमसंग कम्पनी का बरंग काला मॉडल नम्बर एम.–315 एफ./डी.एस. एन्ड्रोयड फोन जिसमें दो सिम लगी हुई जिसमें एक सीम जीओं कम्पनी की जिसके मोबाईल नम्बर 6377080287 तथा दुसरी सीम वोडाफोन कम्पनी की लगी हुई जिसके मोबाईल नम्बरों के सम्बन्ध में आरोपिता से पूछा तो उसने बताया कि उक्त सीम 03 वर्षो से बन्द है तथा मुझे इसके मोबाईल नम्बर याद नही होना बताया । उक्त मोबाईल फोन की फर्द जब्ती पृथक से मुर्तिब की जाकर आरोपिता श्रीमती अन्नपूर्णा शुक्ला व दोनों स्वतंत्र गवाहन व अन्य सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये ।

इसके उपरान्त समय करीब 11.35 पी.एम. पर परिवादी श्री भैरू लाल मेघवाल व आरेापिता श्रीमती धापू बाई, सहायक कर्मचारी जिला चिकित्सालय निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ के मध्य दिनांक 26.05.2023 की रिकॉर्ड शुदा रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट पृथक से रूबरू गवाहान के समक्ष श्री जितेन्द्र सिंह कानि0 से तैयार करवाई जाकर हाजरिन के हस्ताक्षर करवाये गये ।

दिनांक 27.05.2023 को समय 12.30 ए.एम. पर परिवादी श्री भैरू लाल मेघवाल व आरेापिता डॉ. अन्नपूर्णा शुक्ला, स्त्री एवं प्रसूती रोग विशेषज्ञ जिला चिकित्सालय निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ के मध्य दिनांक 26.05.2023 को राजकीय जिला चिकित्सालय निम्बाहेडा की बिलडिंग के गेट के बाहर हुई रिकॉर्ड शुदा रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट पृथक से रूबरू गवाहान के समक्ष श्री जितेन्द्र सिंह कानि0 से तैयार करवाई जाकर हाजरिन के हस्ताक्षर करवाये गये । तत्पश्चात् समय 01.00 ए.एम. पर परिवादी श्री भैरू लाल मेघवाल व आरेापिता डॉ. अन्नपूर्णा शुक्ला, स्त्री एवं प्रसूती रोग विशेषज्ञ जिला चिकित्सालय निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ के मध्य दिनांक 26.05.2023 को राजकीय जिला चिकित्सालय निम्बाहेडा से उसके निवास स्थान जी.–04 विनायक रेजीडेन्सी के पास डॉ. आर.के गुप्ता क्लिनिक उदयपुर रोड निम्बाहेडा पर हुई रिकॉर्ड शुदा रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट पृथक से रूबरू गवाहान के समक्ष श्री जितेन्द्र कुमार कानि0 से तैयार करवाई जाकर हाजरिन के हस्ताक्षर करवाये गये । इसके उपरान्त समय करीब 01.55 ए.एम. पर परिवादी श्री भैरू लाल मेघवाल व आरेापिता डॉ. अन्नपूर्णा शुक्ला, स्त्री एवं प्रसूती रोग विशेषज्ञ जिला चिकित्सालय निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ के मध्य दिनांक 26.05.2023 को राजकीय जिला चिकित्सालय निम्बाहेडा से उसके निवास स्थान जी.–04 विनायक रेजीडेन्सी के पास डॉ. आर.के गुप्ता क्लिनिक उदयपुर रोड

निम्बाहेडा पर हुई रिकॉर्ड शुदा रिश्वत राशि लेन–देन वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट पृथक से रूबरू गवाहान के समक्ष श्री जितेन्द्र कुमार कानि0 से तैयार करवाई जाकर हाजरिन के हस्ताक्षर करवाये गये । तदोपरान्त समय करीब 02.38 ए.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपिता डॉ. अन्नपूर्णा शुक्ला को सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस थाना कोतवाली निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ को जरिये तहरीर जमा करवा रसीद प्राप्त कर शामील पत्रावली की गई । इसके उपरान्त समय करीब 11.30 ए.एम. पर आरोपिता डॉ. अन्नपूर्णा शुक्ला, स्त्री एवं प्रसूती रोग विशेषज्ञ जिला चिकित्सालय निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ के मोबाईल से आरोपिता श्रीमती धापू बाई के मोबाईल पर वार्ता कराई गई जिसे डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया । उक्त वार्ता दिनांक 26.05.2023 को हुई मोबाईल वार्ता जो ब्यूरो के वॉईस टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड शुदा रिश्वत राशि लेन–देन के बाद की वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट पृथक से रूबरू गवाहान के समक्ष श्री जितेन्द्र कुमार कानि0 से तैयार करवाई जाकर हाजरिन के हस्ताक्षर करवाये गये । इसके उपरान्त समय करीब 01.15 पी.एम. पर आरोपीया डॉ0 अन्नपुर्णा शुक्ला, स्त्री एवं प्रसुति रोग विशेषज्ञ राजकीय जिला चिकित्सालय निम्बाहैडा जिला चित्तौडगढ एवं परिवादी श्री भैरू लाल मेघवाल से दौराने ट्रेप कार्यवाही पूछताछ के दौरान गवाहान श्री धर्मेन्द्र गुप्ता के मोबाईल से दो विडियो तैयार किया गया को उनकी इन्टरनल मेमोरी में रिकॉर्ड फाईल को ब्यूरो के लेपटॉप में सेव करने हेतु मोबाईल मे यू.एस.बी. लीड लगाकर लेपटॉप से कनेक्ट कर उक्त विडियों फाईल को लेपटॉप में सेव किया गया । उक्त दोनो विडियों फाईल दिनांक 26.05.2023 एवं दिनांक 26.05.2023 को ही परिवादी श्री भैरूलाल मेघवाल एवं आरोपीया श्रीमति धापुबाई गार्ड राजकीय जिला चिकीत्सालय निम्बाहैडा जिला चित्तोडगढ के मध्य हुइ 'रिष्वत मांग सत्यापन वार्ता प्रथम, परिवादी व आरोपीया डॉ0 अन्नपुर्णा शुक्ला, स्त्री एवं प्रसुति रोग विशेशज्ञ राजकीय जिला चिकित्सालय निम्बाहैडा जिला चित्तोडगढ के मध्य रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता द्वितीय, तृतीय एवं परिवादी व आरोपीया डॉ0 अन्नपुर्णा शुक्ला के मध्य हुई रिश्वत लेन–देन वार्ता तथा आरोपीया डॉ0 अन्नपुर्णा शुक्ला व श्रीमति धापुबाई के मध्य हुई मोबाईल वार्ता, कुल वार्ता 05 जो कि कार्यालय के सरकारी डिजीटल वॉईस रिकार्डर मे रिकार्ड की गई थी। सरकारी डिजीटल वॉईस रिकार्डर को लेपटॉप से कनेक्ट कर उपरोक्त 05 वार्ताओं की 05 सी0डी0 श्री जितेन्द्र कानि0 514 से डब करवायी गई। एक सीडी वजह सबूत न्यायायल के लिये, दो सीडीयां आरोपीगण के लिये, एक सीडी नमूना आवाज के लिये पृथक–पृथक सफेद कपडे की थैलीयों मे सील्ड मोहर कर सीडीयों तथा कपडे की थैलीयो पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। एक सी0डी0 आईओ के लिये खुली रखी गई । इसके बाद समय करीब 01.55 पी.एम. पर उपरोक्त मौतबिरान के समक्ष आरोपीया डॉ0 अन्नपुर्णा शुक्ला, स्त्री एवं प्रसुति रोग विशेषज्ञ राजकीय जिला चिकित्सालय निम्बाहैडा जिला चित्तौडगढ एवं परिवादी श्री भैरू लाल मेघवाल से दौराने ट्रेप कार्यवाही पूछताछ के दौरान गवाहान श्री धर्मेन्द्र गुप्ता के मोबाईल से दो विडियो तैयार किया गया को उनकी इन्टरनल मेमोरी में रिकॉर्ड फाईल को ब्यूरो के लेपटॉप में सेव करने हेतु मोबाईल मे यू.एस.बी. लीड लगाकर लेपटॉप से कनेक्ट कर उक्त विडियों फाईल को लेपटॉप में सेव किया गया । उक्त दोनो विडियों फाईल दिनांक 26.05.2023 एवं दिनांक 26.05.2023 को ही परिवादी श्री भैरूलाल मेघवाल एवं आरोपीया श्रीमति धापुबाई गार्ड राजकीय जिला चिकीत्सालय निम्बाहैडा जिला चित्तोडगढ के मध्य हुई रिष्वत मांग सत्यापन वार्ता प्रथम, परिवादी व आरोपीया डॉ0 अन्नपुर्णा शुक्ला, स्त्री एवं प्रसुति रोग विशेषज्ञ राजकीय जिला चिकित्सालय निम्बाहैडा जिला चित्तोडगढ के मध्य रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता द्वितीय, तृतीय एवं परिवादी व आरोपीया डॉ0 अन्नपुर्णा शुक्ला के मध्य हुई रिश्वत लेन–देन वार्ता तथा आरोपीया डॉ0 अन्नपुर्णा शुक्ला व श्रीमति धापुबाई के मध्य हुई मोबाईल वार्ता, कुल वार्ता 05 जो कि कार्यालय के सरकारी डिजीटल वॉईस रिकार्डर मे रिकार्ड की गई थी। उक्त 05 ऑडियों फाईल एवं 02 विडियों फाईल कुल 07 फाईलों को सेनडिस्क कम्पनी के 16 जी.बी. पेन ड्राईव में सेव किया जाकर पेन ड्राईव को एक कागज के लिफाफे मे डालकर उक्त कागज के लिफाफे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर उक्त लिफाफे को एक सफेद कपडे की थैली मे रखकर कपडे की थैली को सिल्ड् कर मार्क "पी." अंकित कर कपडे की थैली पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये । इस सम्बन्ध मे फर्द जब्ती पेन ड्राईव अलग से मूर्तीब की गई जिस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये

गये । इसके उपरान्त समय करीब 03.00 पी.एम. पर उपरोक्त मौतबिरान के समक्ष दिनांक 26.05.2023 को परिवादी श्री भैरूलाल मेघवाल एवं आरोपीया श्रीमति धापुबाई गार्ड राजकीय जिला चिकीत्सालय निम्बाहैडा जिला चित्तोडगढ के मध्य हुई रिष्वत मांग सत्यापन वार्ता प्रथम, परिवादी व आरोपीया डॉ0 अन्नपुर्णा शुक्ला, स्त्री एवं प्रसुति रोग विशेषज्ञ राजकीय जिला चिकित्सालय निम्बाहैडा जिला चित्तोडगढ के मध्य रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता द्वितीय, तृतीय एवं परिवादी व आरोपीया डॉ0 अन्नपुर्णा शुक्ला के मध्य हुई रिश्वत लेन–देन वार्ता तथा आरोपीया डॉ0 अन्नपुर्णा शुक्ला व श्रीमति धापुबाई के मध्य हुई मोबाईल वार्ता, कुल वार्ता 05 जो कि कार्यालय के सरकारी डिजीटल वॉईस रिकार्डर में लगे हुए सरकारी मोरमैक्स कम्पनी के 08 जी. बी. माईक्रो एस.डी. मेमारी कार्ड में रिकार्ड है । उक्त सरकारी मोरमैक्स कम्पनी के 08 जी.बी. माईक्रो एस.डी. मेमारी कार्ड को एक सफेद कागज में लपेटकर एक सफेद कागज के लिफाफे मे डालकर उक्त कागज के लिफाफे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर उक्त लिफाफे को एक सफेद कपडे की थैली मे रखकर कपडे की थैली को सिल्ड् कर मार्क "एम." अंकित कर कपडे की थैली पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये । इस सम्बन्ध मे फर्द जब्ती मेमोरी कार्ड अलग से मूर्तीब की गई जिस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये । इसके पश्चात् समय करीब 03.30 पी. एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री भैरू लाल मेघवाल की पत्नि श्रीमती हीरा बाई से सम्बन्धित रिकॉर्ड प्राप्त करने तथा आरोपिता डॉ. अन्नपूर्णा शुक्ला का सेवा विवरण प्राप्त करने हेतु श्री शेर सिंह कानि0 चालक को जरिये तहरीर जिला चिकित्सालय निम्बाहेडा रवाना किया गया ।

इसके उपरान्त समय करीब 04.00 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष जिला चिकित्सालय निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ से श्री कमलेश बाबेल परिवादी श्री भैरू लाल मेघवाल की पत्नि श्रीमती हीरा बाई से सम्बन्धित रिकॉर्ड तथा आरोपिता डॉ. अन्नपूर्णा शुक्ला का सेवा विवरण एवं वेतन स्लीप जिसमें नॉन प्रेक्टिस अलाउंस का उल्लेख है तथा सर्टिफिकेट प्रेक्टिस नही करने बाबत् पेश किया जिसे बाद अवलोकन शामील पत्रावली किया गया । तत्पश्चात् उक्त कार्यवाही से सम्बन्धित सम्पूर्ण वार्ताओं को डॉ. कमलेश बाबेल को सुनाई गई तो उन्होने उक्त सभी वार्ता में आरोपिता डॉ. अन्नपूर्णा शुक्ला एवं श्रीमती धापू बाई की आवाज की पहचान की तथा दोनो की आवाज रिकॉर्ड होना स्वीकार किया । इसके उपरान्त बाद कार्यवाही के डॉ. श्री कमलेश बाबेल को रूखसत किया ।

इसके पश्चात् समय करीब 05.30 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपिता डॉ. अन्नपूर्णा शुक्ला का मेडीकल करवाने हेतु पी.एम.ओ निम्बाहेडा के नाम तहरीर जारी कर श्री राजेश कुमार पुलिस उप निरीक्षक को रवाना किया गया । तत्पश्चात् समय करीब 06.30 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष श्री राजेश कुमार आचार्य एवं डॉ. लोकेश कुमार एवं डॉ. शीलू शर्मा के उपस्थित आये जिन्होने आरोपिता का मेडीकल चेक अप कर रिपोर्ट पेश की जिसे बाद अवलोकन शामील पत्रावली की गई । इसके उपरान्त समय करीब 07.00 पी.एम. पर मय सम्पूर्ण हालात से ज्ञात हुआ कि डॉ. अन्नपूर्णा शुक्ला द्वारा परिवादी श्री भैरूलाल मेघवाल से बतौर रिश्वत राशि 3000 रूपये मांगकर ग्रहण किये गये है उनके द्वारा अपने विभाग को झुठा शपथ पत्र इस आशय का दिया गया कि मेरे द्वारा कोई प्राईवेट प्रेक्टिस नही की जा रही है और ना ही इसकी कोई फीस ली जा रही है और इस एवज में राज्य सरकार धोखा देकर हर महिने 11560 रूपये वेतन के साथ अतिरिक्त प्राप्त किये जा रहे है । वक्त घटना रिष्वत राशि लेन–देन डॉ. अन्नपूर्णा शुक्ला के निवास स्थान पर चेक–अप के लिये अनेको मरीज लाईन लगाकर खडे थे । डॉ. अन्नपूर्णा शुक्ला का उक्त कृत्य धारा 7 पी.सी. एक्ट 1988 (यथा संशोधन 2018), 168, 177, 420 आई.पी.सी. में अपराण की श्रैणी में आता है । श्रीमती धापू बाई द्वारा भी परिवादी श्री भैरू लाल से 2500 रूपये बतौर रिष्वत राशि ग्रहण करना भी धारा 7 पी.सी. एक्ट 1988 (यथा संशोधन 2018) सपठित धारा 34 आई.पी.सी. में अपराध की श्रैणी में आता है । श्रीमती धापू बाई अपने निवास स्थान से रूहपोश है तथा उनकी गिरफ्तारी शीघ्र की जावेगी । तत्पश्चात् समय करीब 07.27 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्रीमती अन्नपूर्णा शुक्ला से पूछताछ की गई कोई नया तथ्य नही बताया उनकी आवाज का नमूना देने बाबत् उन्हें निवेदन किया गया जिस उन्होने अपनी आवाज का नमूना देने से मना

किया । मूल पत्र को शामील पत्रावली किया गया । इसके उपरान्त समय करीब 08.00 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाश सिंह सांदू द्वारा उक्त कार्यवाही से सम्बन्धित आरोपिता डॉ. अन्नपूर्णा शुक्ला, स्त्री एवं प्रसुति रोग विशेषज्ञ राजकीय जिला चिकित्सालय निम्बाहैडा जिला चित्तौडगढ को माननीय विशेष न्यायाधीश, सेशन न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) क्रम संख्या 01, उदयपुर में पेश करने हेतु श्री राजेश कुमार आचार्य पुलिस उप निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चित्तौडगढ को निर्देशित कर उक्त कार्यवाही से सम्बन्धित मूल पत्रावली मय रिमाण्ड शीट मय आरोपी को अग्रिम कार्यवाही हेतु श्री राजेश कुमार आचार्य पुलिस उप निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चित्तौडगढ को सुपुर्द की गई । तत्पश्चात् समय करीब 09.00 पी.एम. पर मन् पुलिस उप निरीक्षक, आरोपिता डॉ. अन्नपूर्णा शुक्ला, स्त्री एवं प्रसुति रोग विशेषज्ञ राजकीय जिला चिकित्सालय निम्बाहैडा जिला चित्तौडगढ को ब्यूरो जाप्ता श्री दलपत सिंह हैड कानि0, श्री मान सिंह कानि0, श्री सुनिल कुमार कानि0, श्रीमती रंजना ए.एस.आई एवं श्री अमृता हैड कानि0 के साथ मय सरकारी वाहन टवेरा मय चालक श्री शेर सिंह कानि0 चालक के आरोपी को नियमानुसार माननीय विशेष न्यायाधीश, सेशन न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) क्रम संख्या 01, उदयपुर में पेश करने हेतु मय मूल पत्रावली के रवाना होकर समय करीब 11.30 पी.एम. पर उपरोक्त फिगरा का रवाना शुदा उदयपुर पहूंचें जहां पर आरोपिता को नियमानुसार श्रीमान् विशिष्ठ न्यायाधीश महोदय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम उदयपुर के समक्ष जरिये रिमाण्ड शीट उनके निवास स्थान पर पेश किया गया जहां से माननीय न्यायाधीश महोदय द्वारा आरोपिता को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने का आदेश रिमाण्ड शीट पर प्रदान किया गया लेकिन रात्री का समय होने तथा केन्द्रीय कारागृह उदयपुर द्वारा रात्री में आरोपिता को जमा नही करने के कारण से आरोपिता को रात्री में पुलिस थाना सुरजपोल उदयपुर में नियमानुसार रखा जाकर पुलिस उप निरीक्षक मय जाप्ता भी रात्री में मुकीम रहे ।

दिनांक 28.05.2023 को समय करीब 09.00 ए.एम. पर पुलिस उप निरीक्षक द्वारा आरोपिता डॉ. अन्नपूर्णा शुक्ला, स्त्री एवं प्रसुति रोग विशेषज्ञ राजकीय जिला चिकित्सालय निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ को पुलिस थाना सुरजपोल जिला उदयपुर से मय ब्यूरो जाप्ता की मौजुदगी में आरोपिता को सुरक्षित हालात में प्राप्त कर आरोपिता मय जाप्ते साथ मय सरकारी वाहन टवेरा मय चालक श्री शेर सिंह कानि0 चालक के पुलिस थाना सुरजपोल उदयपुर से रवाना होकर केन्द्रीय कारागृह उदयपुर पहूंच आरोपिता डॉ. अन्नपूर्णा शुक्ला, स्त्री एवं प्रसुति रोग विशेषज्ञ को केन्द्रीय कारागृह उदयपुर में जमा करा रसीद प्राप्त कर शामील पत्रावली की गई । इसके उपरान्त पुलिस उप निरीक्षक मय जाप्ता बाद राजकार्य के पुनः सरकारी वाहन मय चालक के उदयपुर से रवाना होकर समय करीब 11.10 ए.एम. पर उपरोक्त फिगरा के रवाना शुदा ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ पहूंचें तथा उक्त कार्यवाही से सम्बन्धित मूल पत्रावली को कार्यालय में सुरक्षित रखवाई गई ।

इस प्रकार अब तक की कार्यवाही से यह पाया गया है कि आरोपिता (1) डॉ. अन्नपूर्णा शुक्ला पत्नि श्री हरिशंकर खेडिया उम्र 32 साल जाति ब्राहम्ण निवासी महावीर विस्तार सैकण्ड प्लाट नम्बर 06, करतारपुरा जयपुर हाल स्त्री एवं प्रसूती रोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ एक लोकसेवक होते हुये अपने वैद्य परिश्रमिक के अलावा पदीय कार्य करने में भ्रष्ट एवं अवैध तरीके से परिवादी श्री भैरू लाल मेघवाल से उसकी पत्नि श्रीमती हीरा बाई की सिजेरियन डिलेवरी जिला चिकित्सालय निम्बाहेडा में दिनांक 23.05.2023 को उसकी पत्नि श्रीमती हीरा बाई एवं होने वाले बच्चे की जान का खतरा बताकर समय से करीब 20 दिन पूर्व सिजेरियन डिलेवरी की गई थी, सिजेरयिन डिलेवरी करने के बाद से ही लगातार आरोपिता डॉ. अन्नपूर्णा शुक्ला, स्त्री एवं प्रसूती रोग विशेषज्ञ एवं उसके अधिनस्थ पदस्थापित श्रीमती धापू बाई सहायक कर्मचारी (प्राईवेट ठेकेदारी के अन्तर्गत) जिला चिकित्सालय निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ द्वारा खर्चे–पानी के 4000 रूपये की रिश्वत राशि की मांग करने पर दिनांक 26.05.2023 को नियमानुसार रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवाया गया था जिस पर आरोपिता डॉ. अन्नपूर्णा शुक्ला, स्त्री एवं प्रसुति रोग विशेषज्ञ राजकीय जिला चिकित्सालय निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ द्वारा स्पष्ट रूप से 3000 रूपये रिश्वत राशि की मांग की गई । तत्पश्चात् उक्त दिनांक को ही परिवादी श्री भैरू लाल मेघवाल एवं श्रीमती धापू बाई सहायक कर्मचारी

(प्राईवेट ठेकेदारी के अन्तर्गत) जिला चिकित्सालय निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ के मध्य रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवाया करवाया था जिस पर श्रीमती धापू बाई द्वारा आरोपिता डॉ. अन्नपूर्णा शुक्ला से मिलनें–मिलाने के सम्बन्ध में वार्ता करती है के उपरान्त उक्त दिनांक को ही दौराने कार्यवाही नियमानुसार ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया जाकर आरोपिता डॉ. अन्नपूर्णा शुक्ला, स्त्री एवं प्रसूती रोग विशेषज्ञ को परिवादी से 3000 रूपये की रिश्वत राशि लेते को रंगे हाथों पकडा तथा दौराने कार्यवाही आरोपिता डॉ. अन्नपूर्णा शुक्ला, स्त्री एवं प्रसूती रोग विशेषज्ञ के मोबाईल से उसके पति श्री हरिशंकर खेडिया एवं उसकी सहायक श्रीमती धापू बाई से वार्ता कराई गई तो श्रीमती धापू बाई ने उक्त वार्ता में स्वीकार किया कि 2500 रूपये उसने परिवादी से लिये थे किन्तु बाद में उसे पुनः लौटा दिये साथ ही यह भी स्वीकार से सम्बन्धित वार्ता को नियमानुसार ब्यूरो के डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया था ।

दौराने कार्यवाही आरोपिता डॉ. अन्नपूर्णा शुक्ला, स्त्री एवं प्रसुति रोग विशेषज्ञ राजकीय जिला चिकित्सालय निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ से सम्बन्धित प्राप्त किये गये रिकॉर्ड के अवलोकन से पाया गया कि उनके द्वारा अपने विभाग को झुठा शपथ पत्र इस आशय का दिया गया कि मेरे द्वारा कोई प्राईवेट प्रेक्टिस नही की जा रही है और ना ही इसकी कोई फीस ली जा रही है और इस एवज में राज्य सरकार धोखा देकर हर महिने 11560 रूपये वेतन के साथ अतिरिक्त प्राप्त किये जा रहे है, वक्त घटना रिश्वत राशि लेन–देन डॉ. अन्नपूर्णा शुक्ला के निवास स्थान पर चेक–अप के लिये अनेको मरीज लाईन लगाकर खडे थे । इस प्रकार डॉ. अन्नपूर्णा शुक्ला का उक्त कृत्य धारा 7 पी.सी. एक्ट 1988 (यथा संशोधन 2018), 168, 177, 420 आई.पी.सी. का अपराध किया जाना तथा प्रकरण की अन्य आरोपिता श्रीमती धापू बाई सहायक कर्मचारी (प्राईवेट ठेकेदारी के अन्तर्गत) जिला चिकित्सालय निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ द्वारा भी परिवादी श्री भैरू लाल से 2500 रूपये बतौर रिश्वत राशि ग्रहण करना धारा 7 पी.सी. एक्ट 1988 (यथा संशोधन 2018) सपठित धारा 34 आई.पी.सी. के तहत दण्डनीय अपराध है।

अतः (1) आरोपिता डॉ. अन्नपूर्णा शुक्ला, स्त्री एवं प्रसुति रोग विशेषज्ञ राजकीय जिला चिकित्सालय निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ द्वारा परिवादी श्री भैरू लाल मेघवाल से उसकी पत्नि की सिजेरियन डिलेवरी करने के उपरान्त 3000 रूपये की रिश्वत राशि प्राप्त करना तथा (2) श्रीमती धापू बाई सहायक कर्मचारी (प्राईवेट ठेकेदारी के अन्तर्गत) जिला चिकित्सालय निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ द्वारा परिवादी श्री भैरू लाल मेघवाल से 2500 रूपये रिश्वत राशि के प्राप्त कर पुनः लौटाना प्रमाणित पाया गया है जो कि जुर्म अन्तर्गत धारा 7 पी.सी. एक्ट 1988 (यथा संशोधन 2018), 168, 177, 420, 34, आई.पी.सी. के तहत प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है ।

अतः आरोपितागण (1) डॉ. अन्नपूर्णा शुक्ला पत्नि श्री हरिशंकर खेडिया उम्र 32 साल जाति ब्राहम्ण निवासी महावीर विस्तार सैकण्ड प्लाट नम्बर 06, करतारपुरा जयपुर हाल स्त्री एवं प्रसूती रोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ एवं (2) श्रीमती धापू बाई पत्नि श्री माधव लाल जटिया, जाति जटिया उम्र 40 साल निवासी डाक बंगला रोड, शास्त्रीनगर, पुलिस थाना कोतवाली निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ हाल सहायक कर्मचारी (प्राईवेट ठेकेदारी के अन्तर्गत) जिला चिकित्सालय निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ के विरूद्व बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन मुख्यालय प्रेषित है ।

भवदीय,

(कैलाश सिंह सांदू)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
प्रतापगढ

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री कैलाश सिंह सांदू, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, प्रतापगढ़ ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपिया डॉ. अन्नपूर्णा शुक्ला, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, राजकीय जिला चिकित्सालय निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 133/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

29.5.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक 1009-13 दिनांक 29.5.2023

प्रतिलिपिः- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर।
2. निदेशक(जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान, जयपुर।
3. शासन उप सचिव कार्मिक, (क-3/शिकायत) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, प्रतापगढ़।

29.5.23
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।